



नम्बर  
अहक  
डुकम  
में जारी

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)**

राजस्व लोक अदालत मुकाम बेरा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद में अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

**पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर  
(आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 193/2011 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति धापू पुत्री स्व. गुलाब पत्नि हीरा खटीक उम्र वयस्क निवासी बदनोर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमति सोहनी पुत्री स्व. गुलाब पत्नि मिश्रीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमति कस्तुर पुत्री स्व. गुलाब पत्नि चुन्ना खटीक उम्र वयस्क निवासी मोड का निम्बाहेडाकंला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)

— (वादीगण)

बनाम

1. सोहन पिता स्व. गणेश खटीक उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रामचन्द्र पिता गणेश खटीक उम्र वयस्क निवासी नयाखेडा मु. रूपाहेली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्यामलाल पिता गणेश खटीक उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भंवरलाल पिता गणेश खटीक उम्र वयस्क निवासी नयाखेडा मु.रूपाहेली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बदाम पुत्री गणेश खटीक पत्नि हजारी खटीक उम्र वयस्क निवासी तितोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कमला पुत्री गणेश खटीक पत्नि देवा खटीक उम्र वयस्क निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. सीता पुत्री गणेश खटीक पत्नि अम्बा खटीक उम्र वयस्क निवासी आकडसादा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 53, 183 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. वादीगण उपस्थित
2. विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 स्वयं उपस्थित
3. पैरोकार सरकार.....विपक्षी कम-08, 09

दिनांक- 15.06.201

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेरा में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 0 लगातय 04 एंव राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 53, 183 आर.क.श.त.कार. अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण राजीनामों से इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम अलीनगर पटवार हल्का क्षेत्र बेरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बेरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 113 कुल किता 12 कुल रकबा 17-18 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को सहमति से विभाजित हक हिस्से व कब्जे अनुसार का खातेदार

2  
 तकार घोषित कसे हुये, विवादित आराजियात का शिदिर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन  
 ताव एवं हस्ताक्षरित नक्का ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01  
 लायत 07 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं  
 हस्ताक्षरित/प्रमाणितरुदा नक्काट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 सोहन पिता गुलाब, धापु सोहनी कस्तुरी पिता गुलाब खटीक सा. रायला (वादीगण व विपक्षी कम 01)

आ0न0	रकबा
25/1	00-08
41	00-06
42	00-11
44	01-12
49	00-18
598	01-00
2531/591	00-12
53	01-01
52	00-07
कुल 09	रकबा 06-15 बीघा

- 2 रामचन्द्र श्यामलाल भंवरलाल बदाम कमला सीता पिता गणेश खटीक सा.रूपाहेलीखुर्द (विपक्षी कम 02 से 07)

आ0न0	रकबा
25	03-13
42	01-00
43	00-12
52	03-11
598	02-00
कुल 05	रकबा 10-14 बीघा

- 3 शामलात यथावत -

आ0न0	रकबा
39	00-02
40	00-05
कुल 02	रकबा 00-07 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के मध्य कम संख्या 01 से 03 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतम लाल रेगर)  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा